



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 191) पटना, मंगलवार, 10 फरवरी 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

02 फरवरी 2026

सं० 3/एम0-22/2023सा0प्र0 2292—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पद को उपर्युक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है—

क्र. सं.	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद
1.	वित्त विभाग	सांस्थिक वित्त निदेशालय के— (i) विधि परामर्शी।
2.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजभाषा संवर्ग के— (i) वरीय राजभाषा सहायक, (ii) राजभाषा पदाधिकारी, एवं (iii) उप निदेशक।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 191-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>